

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 21.01.2023

05 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना नवाबगंज)

कल दिनांक 20.01.2023 को जनपद के थाना नवाबगंज से उ0नि0 श्री अनूप कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के नवाबगंज चौराहा से बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल के साथ 01 व्यक्ति सफीक पुत्र अब्दुल गफ्फार नि0 कस्बा नवाबगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को 05 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह गोमांस परियावां के रहने वाले भुल्ला उर्फ निसार कसाई से लेकर आया है, वह यह मांस कहीं बाहर से मांगाता है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/2023 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। भुल्ला उर्फ निसार कसाई की शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गोवध निवारण अधिनियम के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)

थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री सुमित सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 17/22 धारा 429 भादवि व 3/ 5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त मो0 इकराम पुत्र औरंगजेब नि0 चमरुपुर पठान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र जेठवारा के लक्ष्मीगंज बाजार से जूड़ापुर जाने वाली रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लालगंज)

थाना लालगंज के उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 832/19 धारा 307, 323, 504, 506 भादवि से संबंधित अभियुक्त जय प्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र रामधनी नि0 परसपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया।